न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस.

अपील संख्या 2017/00337 (417/2017) 223 आरटीएक्ट

अनुज ढाका पुत्र प्रताप सिह जाति जाट निवासी बीराण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

–अपीलाण्ट

बनाम

1. प्रतापसिह पुत्र मुन्शीराम जाति जाट निवासी बीराण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. एचडएफसी बैंक शाखा अग्रोहा जरिये शाखा प्रबन्धक जिला हिसार।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।
4. अरूण कुमार पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी बीराण तहसील भारा जिला हनुमानगढ

–रेस्पोडेण्ट

विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 15.11.2017 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, भादरा प्रकरण संख्या 162/2017 बअनवानी अनुज बनाम प्रताप सिह आदि

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री लौकेश शर्मा अधिवक्ता रेस्पो0 1

श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 3

निर्णय दिनांकः–12.03.2020

1. अपीलाण्ट ने उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वाद घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 एवं 89 आरटीएक्ट में पेश किया। वाद पत्र में चक 5 ए. एम.एस. के खाता संख्या 70/64/ के मु. नं. 55 के किला नं. 11, 20, 21 की 0.759 है. मु. नं. 62 के किला नं. 1 की 0.253 है. कुल 1.012 है0 नहरी व चक 6 ए. एम.एस. के वर्तमान खाात संख्या 61/59 के मु. नं. 33 के किला नं. 24 व 25 की 0.506 हैक्टर मु. नं. 34 के किला नं. 21 ता 25 मु0 नं0 35 के किला नं. 1 ता 25, मु. नं. 36 किला नं. 4 ता 7,14 ता 17, 24, 25 मु. नं. 39 किला नं. 4 ता 7 व 15 की 12.144 हैक्टर नहरी मय रास्ता एवं खाला की खातेदारी जो प्रतिवादी प्रतापसिंह के नाम से खातेदारी दर्ज है को पैतृक भूमि होने का कथन करते हुए उक्त भूमि में वादी एवं प्रतिवादी अरूण कुमार बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार होने की

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

घोषणा एवं प्रतिवादी प्रतापसिह का नामकलमजन कर रिकार्ड में तद्नुसार दुरूस्त किया जाने का अनुतोष मांगा। प्रतिवादी सं0 1 व 4 ने राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 3 पैरोकार राज ने जवाबदावा पेश किया एवं प्रतिवादी सं0 2 को तर्क करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने वाद वादी साबित नही होने के कारण खारिज किया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस मे कथन किया कि वाद भूमि पहले मनीराम जो प्रतिवादी प्रतापसिह का भाई था तथा मनीराम अपने ताउ हमराज के गोद गया हुआ था। हेमराज के देहान्त होने पर उक्त भूमि मनीराम को प्राप्त हुई तथा मनीराम ने उक्त कुल वाद भूमि के सम्बन्ध में प्रतिवादी प्रतापसिह के पक्ष में वसीयत करवा दी एवं मनीराम के देहान्त होने पर जरिये वसीयत उक्त वाद भूमि विरास्तन प्रतिवादी प्रतापसिंह के नाम से दर्ज हो गई। इस प्रकार वाद भूमि पुश्तैनी कृषि भूमि है जो प्रतिवादी प्रतापसिंह को विरास्तन में प्राप्त हुई है तथा इसके अलावा प्रतापसिंह क पास अन्य कृषि भूमि भी संयुक्त परिवार की आय आमदनी से खरीद की हुई है तथा कुछ भूमि तारादेवी के नाम से ही खरीद की हुई है। वाद भूमि के सम्बन्ध में वादी एवं प्रतिवादीगण का पारिवारिक सैटलमैन्ट हो गया था जिसें वाद भूमि वादी व प्रतिवादी अरूणकुमार को प्राप्त हो गई तथा प्रतिवादी क पास संयुक्त परिवार की आय आमदनी से अर्जित की गई शेष भूमि रह गई थी। पारिवारिक सैटलमैन्ट में कुल भूमि वादी एवं प्रतिवादी अरूणकुमार को बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त हुई थी तथा इसी अनुसार कब्जा काश्त चली आ रही है परन्तु राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि आज भी तन्हा प्रतिवादी प्रतापसिंह के नाम दर्ज चली आ रही है जिसमं वादी के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मनीराम पुत्र मुन्शीराम हेमराज के गोद चला गया व कुंआरा ही फौत हो गया। सारी भूमि प्रतापसिंह को मिल गई। हेमराज मुंशीराम का सगा भाई था पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया था। भूमि पैतृक होना सिद्ध था तथा संयुक्त हिन्दू परिवार की आय से अर्जित करना भी सिद्ध था। अपीलाण्ट/वदी ने वाद में कथन किये थे उसके विरोध स्वरूप कोई साक्ष्य ना तो पत्रावली पर उपलब्ध थे ना ही किसी पक्षकार द्वारा वाद में अंकित कथनों का विरोध किया था ऐसी परिस्थिति में स्वीकृत तथ्यों को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती है। माननीय उच्च न्यायालयों के द्वारा विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि पक्षकारान के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

न्यायालय को निर्णय पारित करने चाहिए एवं खातेदार काश्तकार अपनी भूमि का राजीनामा के आधार पर किसी अन्य के हक व डिक्री पारित करने हेतु अपनी सहमति दे सकता है एवं उसके अनुरूप डिक्री पारित करने हेतु सक्षम है परन्तु विचारण न्यायायल द्वारा इस पर बिना गौर किए वाद खारिज करने में अहम भूल की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में 1994 आरबीजे पेज 134 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

4. रेस्पोडेण्ट सं0 1 व 4 के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलाण्ट की बहस का समर्थन करते हुए अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का कथन किया।
5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया ।
6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर मनन किया।
7. अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट का वाद घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 एवं 89 आरटीएक्ट में पेश किया। वाद पत्र में चक 5 ए.एम.एस. के खाता संख्या 70/64/ की 1.012 है0 नहरी व चक 6 ए.एम.एस. के वर्तमान खाता संख्या 61/59 की 12.144 हैक्टर नहरी मय रास्ता एवं खाला की खातेदारी जो प्रतिवादी प्रतापसिंह क नाम से खातेदारी दर्ज है को पैतृक भूमि होने का कथन करते हुए उक्त भूमि में वादी एवं प्रतिवादी अरूण कुमार बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार होने की घोषणा एवं प्रतिवादी प्रतापसिह का नाम कलमजन कर रिकार्ड में तद्नुसार दुरूस्त किया जाने का अनुतोष मांगा। प्रतिवादी सं0 1 व 4 ने राजीनामा पेश किया। अधीनस्थ न्यायायल की पत्रावली में प्रस्तुत जमाबन्दी ग्राम 5 ए.एम.एस. तहसील भादरा संवत 2073 से 76 में प्रश्नगत 1.0120 है0 भूमि रेस्पोडेण्ट प्रतापसिह पुत्र मुन्शीराम जाति जाट के नाम से दर्ज है तथा ग्राम 6 ए.एम.एस. तहसील भादरा की जमाबंदी सं. 2074–2077 में प्रश्नगत 12.1440 है. भूमि भी प्रताप सिह पुत्र मुन्शीराम जाति जाट के नाम से दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि प्रताप सिंह प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज रिकार्ड है एवं दोनों पक्षों द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.10.2017 को राजीनामा प्रस्तुत किया गया जो तस्दीक किया गया है। हमारा मत है कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो और उसके विरोध स्वरूप कोई साक्ष्य पत्रावली पर न हो तथा किसी पक्षकार द्वारा वाद में अंकित तथ्यां का विरोध नहीं किया हो ऐसी परिस्थिति में वाद पत्र के तथ्यों को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है ऐसा वाद स्वीकार किया जाना चाहिए। राज्य सरकार प्रकरणों के निस्तारण के लिए बार बार अभियान चलाती है जिसमें राजीनामा के

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

आधार पर ही प्रकरण निस्तारित किये जाते है जिसका उद्देश्य ही प्रकरणों की बहुलता को समाप्त करना है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजीनामा के आधार पर प्रकरण का निस्तारण न करते हुए अकारण ही वाद खारिज कर दिया है जो उचित नही है। इस प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति/ राजीनामा है और अपील स्तर पर भी इसका कोई विरोध नहीं किया गया है अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है एवं वाद वादी राजीनामा दिनांक 25.10.2017 के आधार पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.11.2017 निरस्त किया जा है एवं अपीलाण्ट/वादी का वाद स्वीकार किया जाकर तहसील भादरा के चक 5 ए.एम.एस. के खाता संख्या 70/64/ के मु. नं. 55 के किला नं. 11, 20, 21 की 0.759 है. मु. नं. 62 के किला नं. 1 की 0.253 है. कुल 1.012 है0 नहरी व चक 6 ए.एम.एस. के वर्तमान खाता संख्या 61/59 के मु. नं. 33 के किला नं. 24 व 25 की 0.506 हैक्टर मु. नं. 34 के किला नं. 21 ता 25 मु0 नं0 35 के किला नं. 1 ता 25, मु. नं. 36 किला नं. 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 मु. नं. 39 किला नं. 4 ता 7, 14 व 15 की 12.144 हैक्टर नहरी मय रास्ता एवं खाला की खातेदारी जो प्रतिवादी प्रताप सिह के नाम से खातेदारी दर्ज है में वादी अनुज ढाका पुत्र प्रताप सिह जाति जाट एवं प्रतिवादी सं0 4 अरूण कुमार पुत्र प्रताप सिंह जाति जाट को बहिस्सा बरबार के खातेदारी काश्तकार घोषित किया जाता है हाल जमाबन्दी में प्रतिवादी प्रतापसिंह का नाम कलमजन कर राजस्व रिकार्ड में तद्नुसार दुरूस्त किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 12.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(आशाराम डूडी आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास आशाराम डूडी आर0ए0एस0

अपील संख्या 2017/00337 (417/2017) 223 आरटीएक्ट
अनुज ढाका पुत्र प्रताप सिह जाति जाट निवाासी बीराण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
—अपीलाण्ट

बनाम

1. प्रतापसिह पुत्र मुन्शीराम जाति जाट निवासी बीराण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. एचडएफसी बैंक शाखा अग्रोहा जरिये शाखा प्रबन्धक जिला हिसार।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।
4. अरूण कुमार पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी बीराण तहसील भारा जिला हनुमानगढ

—रेस्पोडेण्ट

विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 15.11.2017 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, भादरा प्रकरण संख्या 162/2017 बअनवानी अनुज बनाम प्रताप सिह आदि

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलाण्ट, श्री लौकेश शर्मा अधिवक्ता रेस्पो0 , श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 3, की और से की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.11.2017 निरस्त किया जा है एवं अपीलाण्ट/वादी का वाद स्वीकार किया जाकर तहसील भादरा के चक 5 ए.एम.एस. के खाता संख्या 70/64/ के मु. नं. 55 के किला नं. 11, 20, 21 की 0.759 है. मु. नं. 62 के किला नं. 1 की 0.253 है. कुल 1.012 है0 नहरी व चक 6 ए.एम.एस. के वर्तमान खाता संख्या 61/59 के मु. नं. 33 के किला नं. 24 व 25 की 0.506 हैक्टर मु. नं. 34 के किला नं. 21 ता 25 मु0 नं0 35 के किला नं. 1 ता 25, मु. नं. 36 किला नं. 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 मु. नं. 39 किला नं. 4 ता 7, 14 व 15 की 12.144 हैक्टर नहरी मय रास्ता एवं खाला की खातेदारी जो प्रतिवादी प्रताप सिह के नाम से खातेदारी दर्ज है में वादी अनुज ढाका पुत्र प्रताप सिह जाति जाट एवं प्रतिवादी सं0 4 अरूण कुमार पुत्र प्रताप सिंह जाति जाट को बहिस्सा बरबार के खातेदारी काश्तकार घोषित किया जाता है हाल जमाबन्दी में प्रतिवादी प्रतापसिंह का नाम कलमजन कर राजस्व रिकार्ड में तद्नुसार दुरूस्त किया जावे। डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 12.03.2020 को जारी की गई।

(आशाराम डूडी, आर. ए. एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2020.03.24 12:22:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: